[Shrimati Indira Gandhi]

be made in the Fourth Plan now under finalisation.

Assam is rich in various resources and there is scope for the establishment of industries based on forest produce. Government have recently decided on the establishment of a Paper Corporation. This Corporation will be entrusted with the task of putting up a Paper/Pulp Mill in Assam.

The Government of India have also been giving their attention to another problem, namely the periodic ravages caused by floods in the Brahmaputra and its tributaries, which cause considerable concern to the Central as well as the State Government. Government accord high priority to the evolution and implementation of a comprehensive plan of flood control through the agency of a Brahmaputra Flood Control Commission, and have now decided that such a Commission should be set up and provided with adequate resources for the discharge of its responsibility. The State Government will be enabled to make adequate provision for this purpose in the State Plan.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Release those people who courted arrest and who sacrificed for this.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : We support the leader who made this statement.

18.04 hrs

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

USE OF NATIONAL LANGUAGE IN THE HIGH COURTS OF HINDI-SPEAKING STATES

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (हापुड़) : सभापति महोदय, हिन्दी-भाषी राज्यों में हाई कोर्टों में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में 21 नवम्बर, 1969 के मेरे एक प्रश्न का जो उत्तर सरकार की ओर से दिया गया, मैं उस पर यह आध घंटे की चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में सब से पहले में सरकार पर अकर्मण्यता और बदनीयती का आरोप लगाना चाहता हूं। "बदनीयती" शब्द का प्रयोग मैंने जान-बूझ कर किया है, क्योंकि इस सरकार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो मंत्रियों के स्तर पर भी हैं और अधिकारियों के स्तर पर भी, जो अब तक जानबूझ कर राष्ट्रीय निर्णयों की उपेक्षा करते रहे हैं। सरकार की ओर से मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है, वह उस का एक उदाहरण है।

मैं इस सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 348(2) की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान सभा ने यह निर्णय किया था कि 1965 से पहले ही किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से यह व्यवस्था कर सकेगा कि हाई कोर्ट स्तर तक के जितने काम हैं, वे हिन्दी में प्रारम्भ किये जा सकें। हाई कोर्ट के निर्णय इस के अन्तर्गत नहीं आते थे। लेकिन डिक्री और आदेश लिखने आदि के बाकी जितने काम होते हैं, वे सब हिन्दी में किये जा सकते थे। सरकार की बदनीयती का सूचक एक तो यह है कि संविधान में निर्णय लेने के बाद भी उस ने 1965 तक उस दिशा में कोई पग नहीं उठाया।

उस के बाद 1963 में राजभाषा अधिनियम इस संसद् में पारित हुआ। उस अधिनियम की धारा 7 के अनुसार संसद् ने यह निश्चय किया था कि

> "नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उस के साथ-साथ उच्च न्यायालय के

प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उस का अनुवाद भी होगा।"

राजभाषा अधिनियम के अनुसार इस धारा में उल्लिखित "नियत दिन" का अभिप्राय है 26 जनवरी, 1965। आज जब कि मैं सदन में इस चर्चा को उठा रहा हूं, 1969 के दिसम्बर की 5 तारीख़ है। अभी तक संविधान या राजभाषा अधिनियम के आधार पर कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गई है। सरकार ने संसद् से पारित होने के बाद भी अधिनियम की इस धारा को उठा कर कोल्ड स्टोर में रख दिया है। छः साल होने को आये हैं, लेकिन अभी तक उस आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस धारा के कार्यान्वित किये जाने से कोई बहुत बड़ा भोंचाल आने वाला था, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्योंकि इस अधिनियम को पारित करते हुए भी सरकार के मन में अंग्रेजी के लिए साफ्ट कार्नर था। इस धारा को कार्यान्वित किये जाने के बाद भी हिन्दी का प्रयोग अनिवार्यतः नहीं होता, बल्कि वैकल्पिक रूप से भी नहीं होता, क्योंकि इस सम्बन्ध में तीन प्रावधान रखे गये थे। पहला हिन्दी के प्रयोग के बारे में राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। दूसरे, इस बारे में न्यायाधीश को अपनी इच्छा के प्रयोग की व्यवस्था भी रखी गई और तीसरे, अगर कोई न्यायाधीश अपना निर्णय हिन्दी में दे, तो उस के साथ-साथ उस का अंगजी अनुवाद होना भी आवश्यक होगा। मैं समझता हूं कि इतनी छूट दिये जाने के बावजूद इस निर्णय पर कार्य न करना और इस अधिनियम को सरकारी फ़ाइलों में रख देना सरकार की अकर्मण्यता और बदनीयती का सूचक नहीं है, तो और क्या है।

आज केन्द्र के लगभग 150 अधिनियम इस प्रकार के हैं, जिन के प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। हिन्दी-भाषी राज्यों में जितने अधिनियम पारित होते हैं, वे प्रायः सब हिन्दी में ही होते हैं। विधि मंत्रालय ने यह व्यवस्था की है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाय। इस के लिए मैं विधि मंत्रालय को, और विशेष रूप से वर्तमान विधि मंत्री को, बधाई देना चाहता हूं,हालांकि मैं जानता हूं कि इस व्यवस्था में भी अभी काफ़ी सुधार और विस्तार की अपेक्षा है। इस के बाद भी यदि कोई कहे कि हाई कोर्टों को हिन्दी में कार्य करने में असुविधा रहेगी, तो मैं उस युक्ति को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि हाई कोर्टों में हिन्दी में कार्य करने की अनुमति दी जाये। सरकार की ओर से बताया गया है कि बिहार का प्रश्न विचाराधीन है। कुछ दिन पहले विधि मंत्री न्यायाधीशों के सम्मेलन में जयपुर गये थे। उस में बिहार के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस मिश्र, ने कहा था कि वह चाहते हैं कि बिहार के हाई कोर्ट में हिन्दी में निर्णय दिये जायें और यह व्यवस्था तत्काल लागू होनी चाहिये।

हिन्दी-भाषी राज्यों में तीन बड़े राज्य इस प्रकार के हैं, जो केन्द्रीय सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि उन के उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की अनुमति दी जाये। सरकार ने यह बहाना लगाया है कि हरियाणा सरकार इस बात से सहमत नहीं है। जो राज्य हिन्दी के नाम पर बना है, उस की ओर से हिन्दी के प्रयोग के बारे में इस प्रकार का विचार प्रकट किया जाये, मैं इस की कल्पना नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं जनाता कि केन्द्रीय सरकार के पास हरियाणा से जो पत्र आया, वहां के मिनिस्टरों को उस की जानकारी भी है या नहीं।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : हरियाणा में कोई अलग हाई कोर्ट नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जैसा कि प्रोफ़ेसर साहब ने कहा है, हरियाणा में अलग हाई कोर्ट नहीं है । इस तरह तो गृह मंत्रालय का यह उत्तर और भी अस्पष्ट हो जाता है हालांकि सरकार इस बात को कह कर सरकार अपनी बचत का रास्ता निकालना चाहती है ।

बड़े हिन्दी-भाषी राज्यों में केवल मध्य प्रदेश बच जाता है । लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक मध्य प्रदेश की स्थिति है, इन तीन राज्यों में अगर हिन्दी में हाईकोर्टों के निर्णय लिए जाने लगेंगे तो मध्य प्रदेश भी जल्द उस मार्ग पर आ जायगा । तो मैं यह कहता हूं कि राजभाषा अधिनियम की इस धारा में यह व्यवस्था नहीं है कि एक राज्य चाहे तो एक को मंजूरी न दी जाय, दो राज्य चाहें तो दो की दी जाय, तीन चाहें तो तीन की दी जाय फिर उन दो राज्यों को अनुमति देने में सरकार के मार्ग में बाधा कौन सी आती है ?

इस के अतिरिक्त मैं इसी सरकार के कुछ निर्णयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । राज भाषा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है कि हाईकोर्टों के निर्णय हिन्दी में देने की सुविधा उन को मिलनी चाहिए । राज भाषा समिति ने भी अपनी यही सिफारिश की और अभी सीतलवाड की अध्यक्षता में ला कमीशन जो बैठा था, उस विधि आयोग ने भी अपनी संस्तुति की है कि हाईकोर्टों के निर्णय हिन्दी में देने की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाय । अभी अप्रैल 1968 में यहां बार एसोसिएशन के एक सम्मेलन का उद्घाटन हमारे वर्तमान विधि मंत्री श्री गोविंद मेनन ने किया था । उन्होंने अपना उद्घाटन भाषण करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग यह कहते हैं कि राजभाषा हिन्दी में निर्णय इसलिए नहीं दिए जा सकते कि हिन्दी समर्थ नहीं है उन को लन्दन से सीखना चाहिए कि जब अंग्रेजी में विधेयक वहां पर नहीं आते थे वहां फ्रेंच और लैटिन चलती थी उस वक्त जब अंग्रेजी में विधेयक लाने की बात आई तो तब भी इसी प्रकार की लचर दलीलें दी गई थीं कि लैटिन और फ्रेंच में सारे विधेयक आते हैं अंग्रेजी में किस तरह से काम चलेगा ? श्री मेनन ने यह कहा कि यह दलील बड़ी लचर है और हिन्दी के प्रयोग में किसी प्रकार की देर नहीं करनी चाहिए । भाषा व्यवहार से समर्थ होती है ।

सभापति जी, आज भी स्थिति यह है, आप तो कानून से परिचित हैं । जितने हाई-कोर्टों के पेपर-बुक होते हैं वह सारे के सारे देशी भाषाओं में तैयार होते हैं गवाही देशी भाषाओं में होती है, दस्तावेज़ वगैरह सब हिन्दी में या देशीभा षाओं में तैयार होते हैं जब पेपर बुक हिन्दी में हो सकता है, गवाही हिन्दी में हो सकती है और उस के आधार पर निर्णय अंग्रेज़ी में किये जा सकते हैं तो हाईकोर्टों के निर्णय अगर हिन्दी में होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लेने में किसी प्रकार की दिक्कत होगी यह मैं नहीं समझता हूं ।

और एक बात मैं बताता हूं । स्वतंत्रता के पहले कई राज्य इस प्रकार के थे कि जिनके हाई कोर्ट हिन्दी में निर्णय देते थे, अलवर, ग्वालियर, इन्दौर, टिहरी और बड़ौदा यह इस प्रकार के राज्य थे । लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इसी सरकार के नियंत्रण में एक प्रदेश बना था, जिस का नाम था मध्य भारत । आज वह मध्य प्रदेश का भाग बन गया है, स्वतंत्रता के बाद दो वर्ष तक मध्य भारत का हाई कोर्ट हिन्दी में अपने निर्णय देता रहा । लेकिन सरकार ने संविधान का बहाना लेकर बाद में ऐसी उलटी गंगा बहाई और विवश

किया कि मध्य भारत का हाई कोर्ट अंग्रेजी में निर्णय दे ।

मैं विशेष रूप से जो बात कहना चाहता हूं वह यह कि आज यह कहते हैं कि जिला स्तर तक जितने न्यायालय हैं वह हिन्दी में निर्णय दे सकेंगे । हाई कोर्ट हिन्दी में निर्णय नहीं देगा । मैं पूछना चाहता हूं गृह कार्य मंत्री महोदय से हाई कोर्टों में जो जज जाते हैं वह भी तो जिलों से ही जाते हैं । जिले के स्तर पर वह हिन्दी में निर्णय लिखेंगे लेकिन हाई कोर्ट में जा कर अंग्रेजी में लिखेंगें ? जब कि उन को इस में सुविधा होगी कि वह जब जिला जज के स्तर तक हिन्दी में करते रहें हैं तो हाई कोर्ट में भी हिन्दी में काम करने में उन को कोई कठिनाई नहीं होगी । फिर इस प्रकार का बहाना क्यों लिया जाता है ?

दूसरा मेरा कहना यह है कि अगर निर्णय लिखने में कोई दिक्कत भी है तो इस में क्या दिक्कत थी अगर ऐसी व्यवस्था ही कर देते कि छोटे-छोटे जो आदेश चार-चार पांच-पांच लाईनों के होते हैं वह कम से कम हिन्दी में दिए जायं ? लेकिन यह सरकार की बद-नीयती और अकर्मयण्ता का सूचक है कि सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की ।

अब मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दो बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं । एक तो यह कि शायद कठिनाई यह हो कि अगर हिन्दी में निर्णय लिए जाएंगे तो मद्रास के हाई कोर्ट में कोई केस का रेफरेंस नहीं दे सकेगा । मेरा कहना यह है कि हिन्दी में निर्णय लिए जायं और तत्काल अंग्रेजी में उन के अनुवाद की व्यवस्था हो । मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय अंग्रेजी में हो और तत्काल उस के हिन्दीअनुवाद की व्यवस्था हो । इस प्रकार की व्यवस्था होने पर देश के न्यायालयों में एकरूपता बनी रहेगी और किसी भी न्यायालय में किसी भी वकील को या किसी भी जज को दूसरे हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर अपनी सम्मति बनाने में कठिनाई नहीं होगी । लेकिन जनतंत्र में यह सरकार जनता के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है ? मैं आप के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह खिलवाड़ कब तक जारी रहेगी ? आखिर कानून बनाने का और सजा देने का तात्पर्य यही होता है न कि व्यक्ति के मस्तिष्क में सुधार की भावना आए । लेकिन जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है या दस बीस साल की लम्बी सजा दी जा रही है अगर उस को यह पता ही नहीं है कि किस अपराध में किस तरह पर न्यायाधीश का मन क्या बना जिस के आधार पर उस को यह सजा दी जा रही है तो वह सुधार क्या कर पाएगा ? यानी स्वतंत्र भारत में इस से बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि जो आदमी दुनिया छोड़कर जाने की सजा पाए कानून के आधार पर, उस बेचारे को उस की भाषा में यह भी नहीं बताया जाता कि तुम को फांसी की सजा किस आधार पर दी जा रही है ? इस से बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि स्वतंत्रता के 22 वर्षों के बाद भी अभी तक राजभाषा का यह स्थान नहीं बन पाया कि फांसी पाने वाले व्यक्ति को भी उस की अपनी भाषा में बताया जा सके कि इस आधार पर फांसी की सजा उस को मिल रही है ।

तो मैं अन्त में गृहमंत्री से यही पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार संसद में पारित निर्णयों को फाइलों में बन्द रख रख कर के वह उस दिन की प्रतीक्षा में हैं कि जिस दिन न्यायालयों के सामने भी उसी प्रकार के आन्दोलन जनता करेगी जैसे आन्दोलन कि ब्रिटिश पीरियड के अन्दर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलते थे ? क्या यह उस दिन की प्रतीक्षा में हैं कि जिस दिन अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों को जनता फाड़-फाड़ कर के फैकेगी और चौराहों पर उन की होलियां जलाएगी ?

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अगर उस दिन की प्रतीक्षा में नहीं हैं तो मैं चाहता हूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के हाथ से जो यह विधेयक पारित हुआ था जिस की धारा में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि हिन्दी भाषी राज्यों के न्यायाधीशों को इस बात की स्वतंत्रता होगी और हिन्दी में निर्णय लिखने की अनुमति दी जायगी अगर तब नहीं तो कम से कम 6 साल के बाद आज सरकार अपनी उस भूल का प्रायश्चित करे और घोषणा करे निश्चित तिथि बताए कि उस तिथि से इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी जब हिन्दी भाषी राज्य हाई कोर्ट हिन्दी भाषा में अपनी कार्यवाही कर सकेंगे और अपने निर्णय दें सकेंगे ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति जी, माननीय शास्त्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कई बार बदनीयती शब्द का उपयोग किया । मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से एक ऐसे माननीय सदस्य जो इन सब बातों को जानते हैं इस बात का आरोप लगा सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार की जरा भी बदनीयती इस मामले में है । माननीय सदस्यों को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस बात का प्रयत्न हरदम किया गया है कि हिन्दी भाषा को जल्दी से जल्दी हम लागू कर सकें । शास्त्री जी को स्वयं इस बात के बारे में मालूम है कि हम ने सब राज्य सरकारों से इस बात का निवेदन किया था कि राजभाषा अधिनियम की धारा 7 को हम लागू कर सकें और इस के बारे में जो हमारे पास जवाब आए हैं उस के बारे में तो मैं आप को बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी सरकारों ने जवाब दिया है या नहीं दिया है पर मैं आप से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी भी हाईकोर्ट के रास्ते में खड़ी नहीं होगी यदि वह हिन्दी या रीजनल भाषा में अपना काम करना चाहे । अभी तक एक उच्च न्यायालय ने हम से ऐसी आज्ञा मांगी थी और वह आज्ञा उन को दी गई । और किसी भी हाई कोर्ट ने ऐसा कोई प्रावधान हमारे पास . . .

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : वह कौन सा हाई कोर्ट है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इलाहाबाद हाई कोर्ट ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : वहां तो काम हिन्दी में नहीं चल रहा है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम ने उन को दिया हुआ है कि जितना चाहें कर सकते हैं। उन्होंने हम से मांगा और हम ने उन को इस तरह का अधिकार दे दिया कि वह इस तरह काम कर सकते हैं । उन्हें यह अधिकार मिलने के बाद हमें यह सूचना है कि थोड़े बहुत जज वहां के हिन्दी में काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं ।

तो इस तरह की उन्होंने आज्ञा मांगी और इस तरह की आज्ञा उन को दी गई और आप कोई ऐसा दृष्टांत नहीं बता सकते कि जिस में किसी हाई कोर्ट ने आज्ञा मांगी हो और हम ने न दिया हो । इस बात की स्वतंत्रता तो हमें देनी होगी राज्य सरकारों को और हाई कोर्टों को कि यदि वह हाई कोर्ट और राज्य सरकार दोनों मिल कर इस प्रकार की आज्ञा चाहते हैं तो केन्द्र सरकार उन के रास्ते में नहीं खड़ी होना चाहती । यह आश्वासन मैं निश्चित रूप से देना चाहता हूं ।

दूसरी बात यह है कि हम ने कहीं पर रोड़ा अटकाने की कोशिश नहीं की । हम ने तो आगे बढ़ाने की कोशिश की । रोड़ा जो अटका है वह इस वास्ते अटका है कि हाई कोर्ट और राज्य सरकार स्वयं इस बारे में ढीले-ढाले तरीके से चल रहे हैं । यद्यपि इस बारे में केन्द्र सरकार की तरफ से बार बार कहा गया है कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए और प्रगति कीजिए और इतना सब होते

हुए भी यदि शास्त्री जी बदनीयती का दोष हम लोगों पर लगाएं तो हम लोगों को इस बारे में दुख होना स्वाभाविक है....

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : दीर्घ-सूत्रता का अभियोग लगा रहे हैं—प्रोक्रैस्टिनेशन ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रोक्रैस्टिनेशन भी नहीं है और न बदनीयती है । मैं आप को बताता हूं हम ने राज भाषा अधिनियम की सातवीं धारा लागू करने के बारे में राज्य सरकारों को लिखा था तो हमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरयाना, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, तामिलनाडु और उत्तर प्रदेश तथा बंगाल की राय मिल चुकी है । उन में केवल गुजरात, राजस्थान, तामिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने यह कहा है कि धारा 7 को लागू करना चाहिए और बाकी राज्य सरकारों ने इस का विरोध किया है । इस में अपवाद हैं बिहार और आसाम जिन का कि जवाब अभी पूर्ण रूप से हमारे पास नहीं आ पाया है । और यह जो बात है यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कुछ अपना बचाव करना चाहता हूं । मुझे स्वयं इस बात का खेद है कि जितनी मुख्यता और जितना महत्व इस भाषा के प्रश्न को देना चाहिए दुर्भाग्यवश इस भाषा के प्रश्न को उतना महत्व अभी तक राज्य सरकारों ने नहीं दिया है। केन्द्रीय सरकार की कई कठिनाइयां हैं, लेकिन उन के बावजूद भी इस दिशा में प्रगति करने का हम प्रयास कर रहे हैं । हर तरह से हमें देश का ख्याल रखना है, देश की भाषा-भाषी कठिनाइयों का भी ख्याल रखना है और उस के बावजूद भी आगे बढ़ना है । ऐसे भाषा-भाषी राज्यों में जहां पर दूसरी भाषा के बोलने वालों की संख्या कम है, उन राज्यों में क्षेत्रीय भाषा आगे न बढ़ सके और तरह तरह की पुरानी कठिनाइयों को दोहराते चले जायं—इस से दुख होना स्वाभाविक है । मैं तो यही कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी ने आज जो प्रश्न उठाया है और भारत सरकार के द्वारा जो राय बतलाई गई है उस से दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य सरकारें इस तरफ़ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी ।

जैसा मैंने अभी कहा है, यदि हाई कोर्टों और राज्य सरकारों की सम्मति हो तो केन्द्रीय सरकार किसी भी हालत में रास्ते में रुकावट के रूप में खड़ी होने वाली नहीं है, हम उन को तत्काल आज्ञा दे सकते हैं और देने के लिये तैयार हैं ।

जहां तक धारा 7 को लागू करने का प्रश्न है, हम उस को लागू करने के लिये तैयार हैं लेकिन हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम राज्य सरकारों को मनायें, क्योंकि अन्ततः हम को उन्हीं के सहयोग से इस मामले को आगे बढ़ाना है । ....

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धारा 7 में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें आपको राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार स्वयं इस मामले में निर्णय ले सकती है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम लोग केवल धारा को लागू कर सकते हैं, निर्णय लेना हाई कोर्ट और राज्य सरकारों का काम है । राज्य सरकारों की तरफ़ से इस की मांग आनी चाहिये, तब ही हम कर सकते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस में जो प्रावधान है, उस के सम्बन्ध में हमें बतलाया गया है कि इस में राज्य सरकारों को अधिकार है, जिससे कि वे हम से कह सकते हैं । हम उन को निर्देश नहीं दे सकते कि आपको इस तरह से करना पड़ेगा । इस लिये मैं चाहता

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

हूं कि हम सब इस बात का प्रयत्न करें कि जल्द से जल्द ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय जिससे कि हाई कोर्टों में, उच्च न्यायालयों में, सर्वोच्च न्यायालय में भी भारतीय भाषाओं का प्रयोग कर सकें। इस से ज्यादा खुशी भारत सरकार को कभी नहीं हो सकती जितनी कि इन सब भाषाओं के प्रयोग से होगी। इस के लिए हमें पूरी तैयारी करनी है, तैयारी करने का हम यत्न कर रहे हैं। जहां तक भारत सरकार का सवाल है इस में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है—न मानसिक और न प्रशासनिक। मैं तो यह कहूंगा कि जो हमारे माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों से आते हैं वे अपना-अपना जोर उन राज्यों पर डालें जिससे कि अधिकाधिक प्रगति इस क्षेत्र में हो सके।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है—इगनोरेंस आफ़ ला इज नो एक्सक्यूज़—अगर इस कहावत को हम सही मायनों में समझें तो मैं साफ़ तौर से यह कह सकता हूं कि इस देश में जहां करीब करीब 98 प्रतिशत जनता अंग्रेजी नहीं जानती, उस पर इस कहावत को चरितार्थ करना सब से ज्यादा नादानी होगी। 22 साल हो गये अंग्रेज तो यहां से चला गया, संविधान को लागू हुए 19 वर्ष हो गये और इस संविधान की धारा 344 में यह कहा गया था—

"It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to :—

(a) the progressive use of the Hindi language for the official purposes of the Union;"

लेकिन यहां अब तक उल्टा ही हुआ। उत्तरोत्तर हिन्दी का—मैं तो जनभाषा कहूंगा, हिन्दी भी नहीं कहूंगा—उत्तरोत्तर जनभाषा का प्रयोग नहीं बढ़ा, उल्टा चले। जैसा कि अभी माननीय शास्त्री जी ने कहा—जहां जहां जनभाषा में काम होता था, वहां भी अंग्रेजी लादी गई और एक राज्य और जुड़ गया—हैदराबद। हैदराबाद में जितना राजकाज चलता था—उर्दू में चलता था। उस्मानिया विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई-लिखाई होती थी, उर्दू के माध्यम से होती थी, लेकिन जब अंग्रेज चले गये तो अंग्रेजी के माध्यम से हो गई। हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं—गृह मंत्री जी ज़रा इस को नोट करें।

सभापति जी, आप अपने दर्शन को जानते हैं—मेरा तात्पर्य भारतीय दर्शन से है। हमारा भारतीय दर्शन निर्गुण और सगुण वाला है। निर्गुण में कहीं कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जब सगुण रूप आता है तो जबरदस्त मतभेद हो जाता है। निर्गुण में पं० जवाहर लाल नेहरू से लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी तक और सरदार पटेल से लेकर श्री विद्याचरण शुक्ल तक—सब देसी भाषा को लागू कर रहे हैं, सब अंग्रेजी को हटा रहे हैं, लेकिन सगुण में क्या कर रहे हैं—इन के हाथ, इन के कर्म, इन के वचन क्या कर रहे हैं? हर मुमकिन तरीके से अंग्रेजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं।..

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रश्न पूछिए।

श्री राम सेवक यादव : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आरोप लगा कर प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं आरोप लगाता हूं कि यह सरकार निर्णय-हीनता की सरकार है, निर्णय नहीं ले सकती, निर्णयों पर अमल नहीं कर सकती .....

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप कोई प्रश्न पूछेंगे तभी तो उत्तर दे सकूंगा।

श्री राम सेवक यादव : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। अभी भाषावार राज्य और भाषा के सवाल पर मंत्री महोदय ने कहा कि अभी कुछ कठिनाइयां हैं। लेकिन जब कोई विद्यार्थी इंग्लिस्तान जाता है, जर्मनी जाता है, रूस जाता है, किसी विशेष विषय को पढ़ने के

लिये तो 6 महीने या साल भर में उस भाषा को जान लेता है, लेकिन यहां 19 वर्ष में भी हमारे आई० ए० एस०, अई० पी० एस० और जजेज यहां की भाषा को नहीं सीख पाये—मैं यह चार्ज आप पर लगाता हूं कि यह गृह मंत्री और यह भारत सरकार इस के लिये दोषी है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के अन्तर्गत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं—कम्पीटीशन्ज की, उन का माध्यम देसी भाषायें करेंगे या नहीं । अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह कभी होने वाला नहीं है ।

दूसरा प्रश्न—जैसा राजस्थान ने आपसे इजाजत मांगी, उस को वह इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं, धारा 7 के अन्तर्गत उस में कोई रुकावट नहीं है, आपकी तरफ़ से इजाजत होनी चाहिये, इन्तजार नहीं करना चाहिये कि और राज्य क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर आप यह कहेंगे कि कुछ कठिनाइयां हैं—अंग्रेजी में कानून की किताबें हैं—मैं जानना चाहता हूं कि उस कठिनाई को दूर करने के लिये आपने कौन से कौन से कदम उठाये ? क्या यह कदम नहीं उठाया जा सकता था कि विश्वविद्यालयों में जो भाषा के ग्रेजुएट्स हैं, बी० ए०, एम० ए० की पढ़ाई करते हैं, उन के लिये ऐसा लाजिम क्यों नहीं किया गया कि यदि वे कानून की किताब का अनुवाद कर के रख देंगे तो वही उन के लिये डिग्री मान ली जायगी, उन को इम्तिहान से पास कर दिया जायगा ।

अगर यह प्रयास 19 वर्ष से किया गया होता तो इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हो गई होती । कौन सी ऐसी चीज थी जो इस को रोक रही थी, जिसके कारण आप अनुवाद नहीं करा पाये । इन दो-तीन प्रश्नों का मैं साफ़-साफ़ उत्तर चाहता हूं ।

श्री रवि राय (पुरी) : सभापति महोदय, मैं शास्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वह यह सवाल हमारे सामने लाये । इस बात से आप भी सहमत हैं और हम भी सहमत हैं कि लोगों को न्याय तब मिलेगा जब वादी, प्रतिवादी और विचारपति ये तीनों उस भाषा को प्रयोग करेंगे, जिसको वे समझ सकते हैं—तब इस में क्या कठिनाई है । मैं इस बात को साफ़ कर देना चाहता हूं—यादव जी ने इस बात को उठाया है—निज़ाम के समय में उस्मानिया विश्वविद्यालय की भाषा उर्दू थी, लेकिन जिस समय से वह आपके मातहत आया—मेरा मतलब है कि इस समय भक्त दर्शन जी और डा० वी० के० आर० वी० राव के मातहत चलता है—उस का माध्यम बदल गया, अब यहां पर अंग्रेज़ी चलती है—ऐसा क्यों ? जब शास्त्री जी ने बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया तो शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं । लेकिन जो तर्क शुक्ल जी, भारत सरकार और उस के सब मंत्रीगणों के दिमाग़ में घुस गया है कि अभी तैयारी होनी चाहिये, कोश निकालना चाहिये, इस के लिये शब्द होने चाहियें, उस के बाद अंग्रेजी को हटा कर मातृभाषा आनी चाहिये, यह तर्क है जो इस का मूल कारण है, वरना शुक्ल जी इस का जवाब नहीं दे पायेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग़ से इस तर्क को कब हटायेंगे ।

मैं कहना चाहता हूं—हाई कोर्ट के विचार-पति को राष्ट्रपति मुकर्रिर करते हैं—आपने ऐसी शर्त अब तक क्यों नहीं रखी कि उन्हीं विचारपतियों को राष्ट्रपति मुकर्रिर करेंगे, कम से कम हिन्दी भाषी प्रान्तों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जो हिन्दी भाषा में अपना निर्णय देंगे । जब आप इस तरह की शर्त लगायेंगे तब यह हो पायेगा ।

दूसरे मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय आज ऐलान करेंगे और पार्लमेन्ट को आश्वासन

[श्री रवि राय]

देंगे कि सन 70 जो आ रहा है उसमें 26 जनवरी, गणराज्य दिवस से चार हिन्दी प्रान्तों की हाई कोर्टस से अंग्रेजी भाषा समाप्त होकर हिन्दी भाषा हो जायेगी और इसी तरह दूसरी हाईकोर्टस को भी हिदायत देंगे लेकिन हिन्दी प्रान्तों में पहल करेंगे । क्या मन्त्री महोदय इस तरह का आश्वासन इस सदन को देंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभापति महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि माननीय रवि राय जी ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना । मैंने बताया कि हमारी तरफ से उसमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं यहां पर अधिकृत रूप से कह रहा हूं कि यदि हाई कोर्ट्स और राज्य सरकारें इस बात की इजाजत मांगेंगी तो हम इजाजत दे सकते हैं, उसमें जरा सी भी कठिनाई नहीं होगी और हम इजाजत देंगे । आपने कहा कि राजस्थान की तरफ से मांग आई थी, मैं बताना चाहता हूं कि उनकी तरफ से कोई मांग नहीं आई, केवल एक मांग इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई थी जिसकी हमने मंजूरी दे दी ।

श्री रवि राय : मेरा सवाल था कि हाई कोर्ट में आप मुकर्ररी करते हैं तो उसका जवाब दीजिए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हाई कोर्ट में हम मुकर्ररी नहीं करते हैं । और जिस तरह से मुकर्ररी होती है उसमें किसी से भी यह नहीं कहा जा सकता कि तुम यह करोगे तभी तुम को जज बनाया जायेगा । इस तरह की बात को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता । ... **(व्यवधान)** ...

श्री रवि राय : तब तो आप करना नहीं चाहते हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप इसको मानकर चलिए .. **(व्यवधान)** ..

श्री रवि राय : आपकी मनोदशा में अंग्रेजी चलती रहेगी ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपकी जैसी मनोदशा है उसमें कभी अंग्रेजी जा नहीं सकती है । .... **(व्यवधान)** ... आप साधारण बातों को भी ठीक से समझ नहीं पाते हैं ।

श्री रवि राय : 22 साल हो गए ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपको थोड़ा सा धैर्य भी होना चाहिए । ... **(व्यवधान)** ...

श्री रवि राय : जनता दबाव डालेगी तभी होगा । ... **(व्यवधान)** ...

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । सुनने के बाद ही बात समझ में आ सकती है । पहले आप सुनिये । मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से सम्पूर्ण रूप से इस बात का प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि हम हर जगह हर क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को लागू करें और केन्द्रीय स्तर पर हिन्दी को लागू करें । इस सम्बन्ध में जरा भी कठिनाई हमारे दिमाग में नहीं है । रवि राय जी समझते हैं कि हम तैयार होने का तर्क देते हैं । हम इस बात का भी कभी तर्क नहीं देते आखिर किस तरह की बात हम राज्य सरकारों से कहें ? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो प्रदेश हैं उनको केन्द्र से कोई सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है । वे पूर्ण रूप से अपने यहां हिन्दी लागू कर सकते हैं । क्यों नहीं लागू करते ? किसने उनसे कहा है कि लागू न करें ? किसने कहा कि हाई कोर्ट के लिए इस तरह का हमारे पास प्रतिवदन भेजें कि हाई कोर्ट में फलां फलां कार्य के लिए हिन्दी का उपयोग करना चाहते हैं—या दूसरे राज्य कहें कि हम क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हाई कोर्ट में करना चाहते हैं । जब हम उसमें कोई रोड़ा अटकायें तभी हम पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि हमारा विचार ठीक नहीं है । राम सेवक जी कहते

हैं कि उलटी गंगा बह रही है । आप देखें कि सन 47 में जितना प्रयोग क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी का देश भर में होता था, आज उससे ज्यादा होता है—भारत सरकार में भी और विभिन्न प्रान्तों में भी । तमिलनाडु में दो तीन सालों से तमिल का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, आंध्र में तेलगू का प्रयोग बढ़ गया है, मैसूर में कन्नड़ का प्रयोग बढ़ गया है और केरल में मल्यालम का प्रयोग बढ़ गया है तथा हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ गया है । यह बात ठीक है कि कहीं पर पहले हिन्दी होती होगी, बाद में अंग्रेजी कर दी गई । परन्तु आज जो प्रवाह चल रहा है क्षेत्रीय भाषाओं की तरफ और हिन्दी की तरफ उसको कोई रोक नहीं सकता है । आप लोग अवश्य उसमें रोक लगाते हैं, उसमें रोड़ा अटकाते हैं । आपने इस प्रश्न को एक राजनीतिक प्रश्न बना लिया है ।···

(व्यवधान) ···आप लोग जब तक अपनी राजनीतिक रोटियां भाषा के प्रश्न पर पकाना चाहेंगे तब तक भाषा का नुकसान ही करेंगे । आप की रोटियां भले ही पक जायं लेकिन भारतीय भाषाओं को जहां तक आगे बढ़ाने का प्रश्न है उसमें तरह-तरह की कठिनाइयां आयेंगी । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सही तरह से भाषा को प्रेम दीजिए और भाषा को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए । इस तरह की बातें जिससे आपका राजनीतिक उद्देश्य तो सिद्ध हो जाये भले ही भाषा का कितना ही नुकसान हो जाये, उनसे कोई प्रगति नहीं होने वाली है । यदि आपको भारतीय भाषाओं से सच्चा प्रेम है तो रचनात्मक ढंग से इस प्रश्न पर सोचिए और उसके साथ साथ सहयोग भी दीजिए ताकि हिन्दी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ सके । जिस तरह की मनोवृत्ति का परिचय श्री रवि राय ने दिया उससे आप हिन्दी भाषा का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि रचनात्मक ढंग से इस बात को आगे बढ़ाइये और भारत सरकार के द्वारा भारतीय भाषाओं और हिन्दी को बढ़ाने का जो प्रयत्न हो रहा है उसमें सहयोग दीजिए और हमने जो काम किए हैं उसके लिए हमें धन्यवाद दीजिए ।

18.35 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 8, 1969/Agrahayana 17, 1891 (Saka).